Division Bench

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH
AT BILASPUR

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 1914 /2013
UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, 1950
(EXTRAORDINARY ORIGINAL CIVIL/WRIT JURISDICTION)

BETWIXT:

SANJAY INDUSTRIES,
A PARTNERSHIP FIRM,
THROUGH ITS MANAGING PARTNER,
MR. S.K. BUDHIA S/O LATE ANTULAL BUDHIA, AGED ABOUT 58 YEARS,
HAVING ITS OFFICE & WORKS AT 5, NEW INDUSTRIAL ESTATE,
RAJGAMAR ROAD, KORBA – 495 686,
DISTRICT KORBA, CHHATTISGARH

......PETITIONER

VERSUS

1. SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED,
THROUGH ITS CHAIRMAN,
SEEPAT ROAD,
BILASPUR – 495 006, CHHATTISGARH

2. COAL INDIA LIMITED,
THROUGH ITS CHAIRMAN,
#10, NETAJI SUBHASH ROAD,
KOLKATA – 700 001, WEST BENGAL

3. SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED,
THROUGH ITS GENERAL MANAGER, (E&M)/HQD,
SEEPAT ROAD,
BILASPUR – 495 006, CHHATTISGARH

4. SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED, JOHILLA AREA,
THROUGH ITS GENERAL MANAGER,
NOWROZABAD,
DISTRICT UMARIA – 484 555, MADHYA PRADESH

5. SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED,
THROUGH ITS CHIEF VIGILANCE OFFICER,
SEEPAT ROAD,
BILASPUR – 495 006, CHHATTISGARH

6. UNION OF INDIA,
MINISTRY OF COAL,
THROUGH ITS SECRETARY,
SHASHTRI BHAWAN,
NEW DELHI

7. TECHNICAL SALES & SERVICES,
THROUGH ITS PROPRIETOR/MANAGER,
BALAJI COMPLEX, OPPOSITE HOTEL MID TOWN,
TELEPHONE EXCHANGE ROAD,
BILASPUR – 495 001, CHHATTISGARH

(2)

8. PRATHAM INDUSTRIES,
THROUGH ITS PROPRIETOR/MANAGER,
PLOT NO. 107B, SECTOR-B,
SIRGITTI INDUSTRIAL AREA,
BILASPUR, CHHATTISGARH

9. M/S TECHNICIAN ENTERPRISE
GARRIWAN PATTI, P.O. BHAGA
DISTRICT DHANBAD – 828 301, JHARKHAND
HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT
RANA PARA, P.O. DEORAH
AMTA, HOWRAH – 711 401 WEST BENGAL

......RESPONDENTS

68

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ०ग०)

युगल पीठ

युगल पीठः माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री यतीन्द्र सिंह,
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव,

रिट याचिका (सिविल) संख्या–१८७८/२०१३

याचिकाकर्ता पक्ष– संजय इंडस्ट्रीज़

विरुद्ध

उत्तरवादी पक्ष– साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड व अन्य

रिट याचिका (सिविल) संख्या–१९१४/२०१३

याचिकाकर्ता पक्ष– संजय इंडस्ट्रीज़

विरुद्ध

उत्तरवादी पक्ष– साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड व अन्य

रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद २२६ भारतीय संविधान

उपस्थिति – याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से श्री रोमिर सुमित गोयल, अधिवक्ता।
उत्तरवादी पक्ष–०६ की ओर से श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

आदेश

(०१ जनवरी २०१४)

०१. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर (एस.ई.सी.एल.) ने मशीन शाफ्ट सेट ८०० एम.एम. एवं १००० एम.एम. टाप एवं बाटम रोलर उपलब्ध कराये जाने के लिये दो निविदाएँ क्रमशः दिनाँक–

३१.०७.२०१३ एवं ०१.०८.२०१३ को विज्ञापित किया, जिसमें संजय इंडस्ट्रीज़ (याची) एक निविदाकार है।

०२. उत्तरवादी एस.ई.सी.एल. के द्वारा यह निविदा याची को न देकर किसी अन्य के पक्ष में दे दी गई है। याची का कथन है कि उत्तरवादी एस.ई.सी.एल. के द्वारा निविदा में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करते हुए यह निविदा किसी अन्य के पक्ष में दी गई है, जिससे व्यथित होकर याची के द्वारा उपरोक्त दोनों रिट याचिकाएँ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

०३. हमनें, उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना।

०४. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे विचार से, यह उचित होगा कि याची चाहे तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, द्वारा–जनरल मैनेजर (E&M)/HQD, सीपत रोड, बिलासपुर (उत्तरवादी पक्ष–३) के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि इस तरह का कोई प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उत्तरवादी क्र०–३, याची के प्रत्यावेदन पर, यथाशीघ्र इस आज्ञा की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के अन्दर आज्ञा पारित करेगें। याची अपने प्रत्यावेदन के साथ, इस आदेश की नकल, आवश्यक दस्तावेज, एवं अपना पता लिखा व टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करेगा। उत्तरवादी पक्ष–३ प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के पश्चात् तदनुसार याची को सूचित करेगें।

०५. यहाँ यह कहना उचित होगा कि यदि कोई आज्ञा सफल निविदाकारों के विरुद्ध पारित होने की बात होगी, तब उत्तरवादी पक्ष–३ उन्हें भी सुनेगें।

०६. इसी टिप्पणी के साथ उपरोक्त दोनों रिट याचिकाएँ, अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

Sd/- **Chief Justice**	Sd-/ **Manindra Mohan Shrivastava** **Judge**

मधुलिका